भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 817
दिनांक 23 जुलाई, 2021 को उत्तर के लिए

समेकित बाल विकास योजना

817. श्री अभिषेक बनर्जी :

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि वंचित और गरीब परिवारों के कई बच्चों ने वित्तीय नुकसान के कारण स्कूल छोड़ दिया है और यदि हां,तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) मंत्रालय द्वारा इस मुद्दे के समाधान के लिए क्या पहल की गई/कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं;
(ग) क्या इस वर्ष विभिन्न योजनाओं, विशेषकर समेकित बाल विकास योजना को एक प्रमुख योजना के अंतर्गत लाकर, के बजट में कटौती की गई हे और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए है कि घटे हुए बजट का समाज के वंचित वर्ग पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) और (ख) : स्कूल छोड़ने, कम नामांकनों और शिक्षण की हानियों को रोकने के उद्देश्य से, शिक्षा मंत्रालय ने वंचित बच्चों की पहचान, सुगम प्रवेश प्रक्रिया और निरंतर शिक्षा के लिए 13 जुलाई, 2020 को दिशानिर्देश जारी करते हुए, अन्य बातों के अलावा, राज्यों से बिना किसी प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं के ऐसे सभी बच्चों की पहचान और नामांकन करने तथा इस प्रकार भर्ती किए गए बच्चों का एक डेटाबेस बनाने का अनुरोध किया है।

इसके अलावा, बच्चों को गुणवत्ता और समानता सहित शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करने और देश में स्कूली शिक्षा पर महामारी के प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए, शिक्षा मंत्रालय ने दिनांक 07 जनवरी को सभी राज्यों से 6-18 वर्ष की आयु के स्कूली बच्चों की पहचान करने, नामांकन अभियान और जागरुकता सृजन संचालित करने, स्कूल बंद रहने के दौरान छात्रों को सहयोग करने, विशेष जरूरतों वाले बच्चों(सीडब्ल्यूएसएन) के लिए निरंतर शिक्षा, स्कूलों के पुन: खुलने पर छात्रों को सहयोग और शिक्षकों के क्षमता-निर्माण के संबंध में दिशानिर्देश साझा किए।

(ग) और (घ) : वर्ष 2020-21 में आंगनवाड़ी सेवाओं, पोषण अभियान और किशोरी स्कीम के लिए बजट आबंटन 24,482 करोड़ रुपये था। वर्ष 2021-22 में, परिमेयकरण के बाद इन तीनों स्कीमों को संयुक्त करके 'सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0' का नाम दिया गया है, जिसका बजट प्रावधान 20,105 करोड़ रुपये है। देशभर में आंगनवाड़ी सेवाओं के कार्यान्वयन और निगरानी पर रीयल टाइम डेटा प्राप्त करने के लिए पोषण ट्रैकर नामक एक सशक्त आईसीटी सक्षम प्लेटफार्म तैयार किया गया है। इससे आंगनवाड़ी केंद्रों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और अन्य लाभार्थियों की निकट से निगरानी करने में मदद मिलेगी। आवश्यकता पड़ने पर वित्त मंत्रालय से संशोधित अनुमान स्तर पर अतिरिक्त निधियों की मांग की जाएगी।

*****